भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1446
दिनांक 11.02.2020/22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिसकर्मियों की कमी

**†1446. श्री हंस राज हंसः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(क)** क्या दिनांक 06.03.2018 को गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए उत्तर के अनुसार, दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की कमी की स्थिति---उदाहरणार्थ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हेड कान्स्टेबलों के 7063 पद रिक्त पड़े हैं---में कोई सुधार आया है;

**(ख)** यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त संख्या को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

**(ग)** विशेषकर उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पुलिस स्टेशनों में स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में पुलिस कर्मियों की कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )

(क) और (ख): दिनांक 15.02.2018 की स्थिति के अनुसार हेड कांस्टेबलों के 3279 पद और कांस्टेबलों के 7063 पद रिक्त थे (दिनांक 06.03.2018 को लोक सभा प्रश्न सं. 1633 में गृह मंत्रालय का पूर्ववर्ती उत्तर)। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार हेड कांस्टेबलों के 2259 पद तथा कांस्टेबलों के 5872 पद रिक्त पड़े हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, सेवानिवृत्तियों, पदों के सृजन आदि के कारण पदों का रिक्त होना एक गतिशील प्रक्रिया है और तद्नुसार, रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

दिल्ली पुलिस की जनशक्ति की आवश्यकता का मूल्यांकन, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

(ग): सभी पुलिस स्टेशनों में स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल स्तर के पुलिस कार्मिकों की रिक्तियों सहित 12,629 कार्मिकों की कमी है और उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पुलिस स्टेशनों में स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में 1,684 कार्मिकों की कमी है।

*******